खण्ड–5, अंक–1, वर्ष–2017, मु0पृ0 129–131, D.O.I. : 10.22445/avsp.v5i01.9864 समीक्षा एवं तकनीकी आलेख

भूमण्डलीकरण, विश्व व्यापार संगठन एवं भारतीय कृषि–एक तकनीकी अवलोकन

गुंजन पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
shagunplus1@yahoo.com

प्राप्त तिथि–30.06.2017, स्वीकृत तिथि–22.09.2017

सार– विश्व व्यापार संगठन के साथ विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत हुए भूमण्डलीकरण से कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका, उनके प्रभाव तथा इससे जुड़ी चुनौतियों का भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी अवलोकन के माध्यम से अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रक्रिया का स्पष्ट प्रभाव बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रायोजित वाणिज्यिक खेती व परम्परागत किसानों की यान्त्रिक खेती के बीच स्पर्धा से स्थानीय निर्धन व धनी किसानों के मध्य दूरी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मौलिक बीजों का उत्तरोत्तर अभाव, भूमि के अधिकतम उपयोग से प्राकृतिक उर्वरकता का ह्रास तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा रहा है। इस संदर्भ में कुछ प्रभावी सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

बीज शब्द– बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, भूमण्डलीयकरण, बहुमुखी दिशा, विश्व व्यापार संगठन।

Globalisation, World Trade Organisation and Indian Agriculture-a technical over view

Gunjan Pandey
Associate Professor and Head, Department of Economics
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
shagunplus1@yahoo.com

Abstract- The impact of globalization following agreement with world trade organization on Indian agricultural areas, role of multinational companies and their effects have been undertaken through technical observations. Effects are clearly visible between commercial farming undertaken by rich farmers sponsored by multinational companies and traditional mechanical farming by local poor farmers, resulting in social gap between them. Moreover, decling availability of native seeds, loss of natural fertility of land due to its excessive use, besides adverse impact on environment and biodiversity have been observed. Some useful effective measures and suggestions have also been enumerated for the purpose.

Key words- Globalisation, World Trade Organisation, diversified.

1. **प्रस्तावना–** कृषि क्षेत्र में सन् 1990 के पश्चात विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत विभिन्न समझौते किये गये। कृषि में इन सुधारों से कृषि क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढावा देना, जिससे विश्व बाजार के नये बाजारों में अवसरों का कृषि क्षेत्र लाभ उठा सके, कृषि क्षेत्र का बहुमुखी दिशा में विकास सम्भव हो सके जिससे उच्च मूल्य फसलों को बढाया जा सके, जो इस क्षेत्र में आय को बढावा देने में सहायक बने, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि आये जिससे खाद्य सुरक्षा तथा कुपोषण की समस्या से भी निपटा जा सके, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना जिससे अंततः गरीबी की समस्या देश से समाप्त हो जाए

भूमण्डलीकरण का अर्थ घरेलू देश की क्रियाओं का प्रसार है, जब वे देश की सीमा के बाहर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से सम्पर्क में आती है। उनका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्रों से सहसम्बन्ध स्थापित करना होता है। भारत में वस्तुतः भूमण्डलीकरण का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से वित्तीय, आगत, निर्गत, सूचना तथा विज्ञान सम्बन्धी सहसम्बन्ध को कहा जाता है। इस लेख में भूमण्डलीकरण से भारतीय कृषि पर होने वाले प्रभावों की चर्चा की गयी है। इस लेख के निम्न उद्देश्य है–

- भूमण्डलीकरण क्या है, का पता लगेगा।
- उसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्या भूमिका है।
- भूमण्डलीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव तथा उससे जुडी चुनौतियाँ।

2. **भूमण्डलीकरण तथा विश्व व्यापार संगठन–** कृषि क्षेत्र में सन् 1990 के पश्चात विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अंतर्गत विभिन्न समझौते कृषि क्षेत्र में किये गये जैसे राज्य हस्तक्षेप द्वारा धीरे–धीरे कृषि विपणन, मुख्यतः अनाज, के

व्यापार में समाप्ति, खाद्यान्न के पदार्थों के आयातों में तटकर तथा मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था में गिरावट, निर्यातों में मात्रात्मक नियन्त्रणों मे धीरे–धीरे गिरावट, निजी क्षेत्र के निवेशकों को निर्गत तथा आगतों के व्यापार में प्रोत्साहित करना, खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादों को उदारीकृत करना। कृषि में इन सुधारों के विभिन्न उद्देश्य हैं जैसे प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जिससे विश्व बाजार के नये बाजार में अवसरों का कृषि क्षेत्र लाभ उठा सके। कृषि क्षेत्र का बहुमुखी दिशा में विकास सम्भव हो सके जिससे उच्च मूल्य फसलों को बढ़ाया जा सके जो इस क्षेत्र में आय को बढ़ावा देने में सहायक बने। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि आये जिससे खाद्य सुरक्षा तथा कुपोषण की समस्या से भी निपटा जा सके। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना जिससे अंततः गरीबी की समस्या देश से समाप्त हो जाए।

3. **भूमण्डलीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव तथा चुनौतियाँ–** यूरुग्वे प्रस्ताव आने के बाद इसकी सकारात्मक और नकारात्मक संभावनाओं पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लगातार चर्चा हुई है। कई स्थानों पर इसके प्रति विरोध के स्वर आन्दोलनात्मक प्रकृति के रहे हैं। भारत में तो प्रस्ताव आने के बाद 3 वर्षों तक इस विषय पर लगातार चर्चा और विचार विमर्श होता रहा है। डंकल प्रस्ताव के आधार पर बने विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यू.टी.ओ.) के समर्थन में यह कहा जाता है कि इससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार आयेगा। इसी तर्क पर भारत भी लाभान्वित होगा। यूरग्वे दौर की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश की कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सहायिकी को कम करना होगा। पश्चिमी विकसित देशों में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सहायिकी का स्तर अत्यन्त ऊँचा और उत्पादन लागत का 40% तक है। भारत में सहायिकी का वर्तमान स्तर अभी भी अपेक्षकृत कम है। सहायिकी में कमी होने से विश्व बाजार में उत्पादन लागत और कीमत में वृद्धि होगी।

भारतीय कृषकों को बाजार की व्यापकता और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि वस्तुओं की बिक्री से सहायिकी घटने के कारण बढ़ी हुयी कीमतें प्राप्त होने लगेंगी। कृषकों को अन्य देशों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा विकसित बीजों के प्रयोग का विकल्प रहेगा। वे लाभदायकता की दशा में इसका प्रयोग करेंगे। इन बीजों को प्रयोग करने की बाध्यता नहीं रहेगी। समर्थन में यह भी विचार व्यक्त किया जाता है, कि यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित किये गए बीजों से कृषकों को लाभ होता है, तो लाभ का कुछ अंश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी दिया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है, कि डंकल प्रस्ताव के अधिकाश प्राविधान भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक होंगे। ज्ञान मानव विकास की कुंजी है विकसित देशों में प्रौद्योगिकी ज्ञान के स्तर में अन्तर बना रखा है। यूरुग्वे प्रस्ताव से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों की यहाँ विशेष चर्चा की गई है। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि कृषि उत्पादन के लिए दी जाने वाली सहायिकी में कमी की जायेगी। कृषि क्षेत्र के लिए जिन सहायिकाओं के लिए अनुमति है उनका आधार यद्यपि कृषकों को सुविधा प्रदान करना है, परन्तु वे उत्पादन से सम्बन्धित नहीं है। इसके लिए इन्हें डिकपल्ड इनकम सर्पोट कहा जाता है।

डंकल प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि कृषि वस्तुओं के निर्यात में दी जाने वाली आर्थिक सहायिकी में भी कमी की जानी चाहिए। कृषकों को समर्थन मूल्य और विभिन्न कृषि आगतों के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायिकी में कमी करने से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। इसी प्रकार कृषि उत्पादों के निर्यात के सन्दर्भ में सहायिकी से निर्यात प्राप्तियों में कमी आयेगी। भारतीय कृषि प्रणाली की अत्यन्त प्रमुख विशेषता यह रही है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के फसल के बीजों की बहुतायत थी। कृषक के विभिन्न खेतों में पृथक–पृथक प्रकार के बीजों का स्वाद, गुणवत्ता, बीमारियों को सहन कर सकने की क्षमता, परिपक्वता, अवधि और गुणधर्म पृथक–पृथक थे। हरित क्रान्ति के आरम्भ से ही गेहूँ, धान, बाजरा आदि के बीजों की परम्परागत किस्में कम होने लगी कुछ मोटे अनाजों की सुगम प्रजाति ही खतरे में है। इन बीजों को बचाए रखने के लिए बीज व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। आगामी अवधि में समग्र आर्थिक विकास में जैवकीय विज्ञान की प्रमुख भूमिका होगी। यहाँ अनुमान किया गया है कि 70% विश्व अर्थव्यवस्था जैव सम्पदा पर आधारित होगी परन्तु विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश जैव सम्पदा पर आधारित है। वस्तुतः विकसित देश बीज "गरीब" और विकासशील देश बीज "धनी" देश है।

कृषकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सोच और मेहनत से बीजों का संरक्षण और संवर्धन किया है। डंकल प्रस्ताव का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि भारत की जैव सम्पदा और बीजों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आधिपत्य स्थापित हो जायेगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कृषि से हस्तक्षेप कृषि की सहज क्रियाशीलता में बाधक होगा देश में पर्याप्त वैज्ञानिक क्षमता उपलब्ध है और भारतीय कृषकों ने नवीन प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे नव प्रवर्तनों के प्रयोग में पीछे नहीं रहेंगे। अतः विभिन्न कृषि आगतों की पूर्ति के लिए हमें शोधकर्ताओं और संस्थाओ को सुविधा और वरीयता देनी चाहिए ताकि कम से कम कृषि व्यवसाय के लिए देश परमुखापृक्षी न बने। कुछ समय पहले भारतीय कृषि मूल्य अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से नीचे थे परन्तु विकसित देशों द्वारा कृषि निर्यात के लिए भारी मात्रा में सहायिकी उपलब्ध कराने के परिणाम स्वरूप परिस्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कृषि कीमतें भारतीय कृषि कीमतों से नीची हो गयी हैं। जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएँ और कई राज्यों में बढ़ती हुई अशान्ति का कारण यह है कि जो किसान कृषि वस्तुओं और उनके निर्यात में जुटे हुए थे, उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। और यह एक मानवीय समस्या बन गयी है इसी कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों के परिणाम स्वरूप किसानों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। प्रो0 पी0 आर0 ब्रंहमानन्द तो इस हद तक कह चुके हैं कि, "हमें अपने देश को सर्वोपरि

स्थान देना चाहिये, यदि हमें किसानों के हितों के लिये विश्व व्यापार संगठन को छोड़ना भी पड़े तो मैं इसे अनुचित नहीं समझता, वास्तविक दुनिया में काल्पनिक या मुक्त व्यापार के समर्थकों की दुनिया से बिल्कुल अलग यह बात स्पष्ट होती है कि कृषि बाजारों को जीवित रहने के लिए तुलनात्मक लागत पर कम निर्भर करना चाहिए और सहायिकी पर निर्भर करना होगा। स्थानीय खाद्य बाजारों प्रतिस्पर्धा के प्रकाश में उदारीकरण, कुशलता, उन्नति करने का उपाय नहीं बल्कि जीविका को नष्ट करने का तरीका है। अगले पाँच वर्षों के दौरान कृषि पर यूरग्वे प्रस्ताव की संधि कार्यान्वयन से बहुत अन्तर आने वाला नहीं है। कृषि अंतराष्ट्रीय व्यापार का एक मात्र क्षेत्र है जिसमें निर्यात डम्पिंग को एक वैध व्यापार व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है।"[1]

4. **अन्य प्रभाव–**

➢ कृषि भूमि का अतिक्रमण करके उद्योगों द्वारा विकास किया गया है।

➢ भूमण्डलीकरण से कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में भारत की उच्च कमाई कृषि उत्पादों के पेटेंट(जैसे– बांसमती चावल, हल्दी आदि) कर लिया और आप अपने उत्पादन के लिए अमेरिकी सरकार को भुगतान करते हैं।[2]

➢ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में शुरू की गई थी, लेकिन कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखा है और कृषि में इसलिए पूंजी निर्माण नगण्य हो गया है।[3]

➢ हरित क्रांति शुरू की गई थी लेकिन यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी, यद्यपि अधिकतर क्षेत्र कृषि पर निर्भर हैं परन्तु यह पिछड़े हैं और मानसून पर अभी भी निर्भर है।[4]

5. **भूमण्डलीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तथा भारतीय कृषि–** बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वे होती हैं जो कम से कम दो राष्ट्रों में कार्य करती हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत के बाहर स्थापित होती हैं। वे अपना लाभ अपने घरेलू राष्ट्र में हस्तान्तरित कर देती हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आरम्भ में तो विदेशी निवेश लाती हैं पर बाद में अपने राष्ट्र में बड़ा भुगतान वापस ले जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जैसे– मोनसान्टो, माइहोका तकनीकी, आधुनिक उपकरण, विकसित बीज, रसायनिक उर्वरक तो भारत में लेकर आयी हैं तथा इन कम्पनियों ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान भी प्रोत्सहित किया है। इन सब प्रयासों से कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गयी है। परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये लाभकारी न होकर हानिकारक सिद्ध हो रही हैं। भारत की 1.2 अरब जनसंख्या जिसकी खाद्य पदार्थ की मांग इतनी अधिक है कि सरकार का पूरा ध्यान कृषि उत्पादन तथा इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर है।वहीं यह कम्पनियाँ सस्ते कच्चे माल को विभिन्न वाणिज्य खेती के तरीकों द्वारा जैसे कॉर्पोरेट खेती से प्राप्त करने में लगी है। 70% किसान भारत में छोटे तथा मंझोले हैं जिनके लिए यान्त्रिक खेती मंहगी है। अतः इससे उत्पादकता प्रभावित होती है जिससे निर्धन और अमीर वर्ग के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है।[5] बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ किसानों को उच्च उत्पादन बीज के किस्मों पर निर्भर बना देती हैं इससे पारिस्थितिकीय नष्ट हो जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वाणिज्य खेती पर बल देती हैं जो धीरे–धीरे भूमि को अत्यधिक प्रयोग में लाते–लाते उसकी उर्वरकता समाप्त कर देता है। रसायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भी पर्यावरण को नष्ट कर देता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आर्थिक शक्ति प्राप्त करके राजनीतिक शक्ति प्रभावित करने लगती हैं और कृषि सम्बन्धी नियम को अपने पक्ष में बनवाने के लिए दबाव डालती हैं। वे अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद भारत में उपलब्ध कराते हैं।

6. **निष्कर्ष–** भूमण्डलीकरण के इस युग में भारत को कृषि प्रधान देशों को जो कि दो–तिहाई विश्व में पाए जाते हैं को एकमत करना पड़ेगा कि वे विश्व व्यापार संगठन के दुष्प्रभावों से सम्बन्धित नीतियों में परिवर्तन लाए। भारत जवाबी कार्यवाही के अन्तर्गत अपनी कृषि सहायिकी जो कि विश्व व्यापार संगठन की सीमा 10% से बहुत कम है(लगभग 3%) को बढ़ा सकता है। परन्तु यह भूमण्डलीकरण पर आघात होगा।[6] भारत अपने कृषि क्षेत्र सम्बन्धी अनुसंधान बढ़ाकर तथा कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधानों को प्रोत्साहित करके नयी बीज प्रजातियों का अविष्कार तथा पुरानी में नवप्रवर्तन करके पेटेंट कराके विदेशी आय में वृद्धि ला सकता है। भारत को अपनी विशेष कृषि उत्पादों को सर्वप्रथम पंजीकृत कराकर रॉयल्टी प्राप्त करनी चाहिये तथा साथ में दूसरे विकसित देश हमसे पहले इन उत्पादों को पंजीकृत न करा सके इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

सन्दर्भ

1. दत्त, रू0 तथा सुन्दरम0 के0 पी0 एस0(2015) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चांद एण्ड कम्पनी लि0, रामनगर, नई दिल्ली।
2. सहाय, सुमन(1996) अमेरिकन प्रेशर टु ओपेन अप इन्डियन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खण्ड–31, अंक–8, मु0पृ0 443–444।
3. सहाय, सुमन(1994) गैट एण्ड पेटेन्टिग ऑफ माइक्रो ओर्गनिस्म्स, इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खण्ड–29, अंक–15, पृ0 841।
4. मिश्रा0 एस0 के0 एवं गिरी, वी0 के0(2012) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
5. मिश्रा, जगदीश चन्द्र(2009) भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, नई दिल्ली।
6. राओ, हरीश(1999) एट द डब्लू0 टी0 ओ0, इट इस वेरी ऑफेन राइट, बिजनेस स्टैण्डर्ड, सितम्बर 20।